wal

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192
फोन नं0–2308501, 2307093, 2307094

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-2088/2011–12 दिनांक : 25 अगस्त, 2011

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः जनपद में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के संबंध में समय–समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए है। योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि उन सभी निर्देशों का सम्यक अनुपालन जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जाय। चूंकि शासन द्वारा योजना के सुचारू रूप से संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया गया है, अतः योजना के प्रभावी कियान्यवन हेतु निम्न बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए योजना का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. कार्यदायी संस्था के रूप में स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को योजना में आबद्ध किये जाने के पूर्व शासनादेश संख्या (1429/79–6—4–1(6)/2000 टी0सी0–3 दिनांक 25.06.2004, शासनादेश संख्या 1981/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी. 8 दिनांक 08.09.2004 सचिव बेसिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान के अर्द्धशासकीय पत्रांक 1544 दिनांक 29.11.2004 एवं अर्द्धशासकीय पत्र सं0 03/2004–05 दिनांक 01.12.2004 का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कि जाये।
2. कार्यदायी संस्था के रूप में स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को योजना संचालन में संलग्न किये जाने के पूर्व शासनादेश संख्याः– 394/79–6–00–1(5)/2006, दिनांक 17.02.06 का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।
3. कार्यदायी संस्था के रूप में स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को योजना संचालन में संलग्न किये जाने की स्थिति में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/सी–202/2009–10, दिनांक 12.05.09 के प्रस्तर–10 में इंगित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. कार्यदायी संस्था के रूप में स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को योजना में आबद्ध किये जाने के समय भारत सरकार द्वारा एन0जी0ओ0 के संबंध में जारी दिशा निर्देश वर्ष 2004, 2006 एवं 08.09.2010 का भी संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कि जाये।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक दशा में गर्म पका–पकाया भोजन ही वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में प्री–कुक्ड फूड अथवा पैक्ड फूड आदि का प्रयोग नहीं किया जाय।

6. कार्यदायी संस्था के रूप में स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को योजना संचालन में संलग्न किये जाने की स्थिति में एन0जी0ओ0 को कोई अग्रिम भुगतान न किया जाय, अपितु एन0जी0ओ0 द्वारा वास्तविक रूप से भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर प्रस्तुत किए गए मासिक बिल के सम्यक परीक्षणोपरान्त नियमानुसार प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाय।
7. एन0जी0ओ0 को प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि एन0जी0ओ0 द्वारा आच्छादित विद्यालयों में भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या का सत्यापन विद्यालय स्तरीय एम0डी0एम0 रजिस्टर में भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर कर लिया गया है।
8. एन0जी0ओ0 द्वारा योजना संचालन किये जाने की स्थिति में एन0जी0ओ0 को भोजन पकाने हेतु खाद्यान्न उपलब्ध कराने के पूर्व गत माह में उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न के सापेक्ष एन0जी0ओ0 द्वारा आच्छादित विद्यालयों में भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या के आधार पर आकलित वास्तविक खाद्यान्न उपभोग की मात्रा का समायोजन करने के उपरान्त ही आगामी माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय।
9. स्वयं सेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु संलग्न किये गये रसोइयों का भुगतान शासनादेश संख्याः 435/79-6-10 दिनांक 24.04.2010 के प्राविधान के अनुसार ही किया जाय।
10. योजना संचालन हेतु टास्क फोर्स की बैठकें आप द्वारा नियमित रूप से किया जाना अपेक्षित है, जिससे कि फील्ड स्तर पर योजना क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण सुचारू रूप से होता रहे एवं उसकी सम्यक स्थिति आपको स्पष्ट रह सके। उचित होगा कि इस हेतु प्रत्येक माह बैठक करते हुए तत्संबंधी कार्यवृत्त निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाय।
11. शासनादेश संख्या– 978/79-6-2011-1(6)/2000 टी.सी.VII, दिनांक 06.07.11 के माध्यम से निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा एन0जी0ओ0/ग्राम पंचायत/वार्ड के स्तर पर गत वर्षो के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन एवं वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(के0 राम मोहन राव)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

(संतोष कुमार)
अपर निदेशक